न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

प्रकरण संख्या :–94 / 2024
प्रकरण दायर दिनांक:– 01.07.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक:–09.12.2024

उनवान– रामप्रताप बनाम रामचन्द्र वगै.
दावा उद्घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं 151 जा. दी."

निर्णय दिनांक 09.12.2024

प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी. पेश किया कि वादीगण ने वादपत्र के पैरा नं. 03 में अंकन किया है कि विवादित भूमि टुण्डा वल्द नाथ्या कौम चमार से जरिये विक्रय पत्र खरीद किया था तब से अप्रार्थीगण / वादीगण ने कब्जा प्राप्त कर लिया था। तब से कब्जा चला आ रहा है एवं यह भी अंकन किया है कि अप्रार्थीगण से उक्त विवादित भूमि के नाम बेचान का सौदा भी प्रार्थी नंबर 2 लगायत 4 के पिता रामचंद्र द्वारा कर लिया था और बेचान राशि भी प्राप्त कर ली थी और रजिस्ट्री कराने को रामचंद्र तैयार था का अंकन किया है और इसी आधार पर भूमि की खातेदारी की उद्घोषणा न्यायालय हाजा के द्वारा डिक्री व अनुतोष चाहा है। वाद पत्र के तथ्यों व कथन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि जरिये विक्रय पत्र अप्रार्थीगण द्वारा खरीद की गई है इस प्रकार खरीद की गयी भूमि का पंजीयन करवाने, उद्घोषणा करवाने का न्यायालय क्षेत्र केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। कानूनन वादपत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है। साथ ही वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या एक रामचंद्र जो कि वाद के अप्रार्थीगण 2 लगायत 4 के पिता है वो लापता है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके वारिसान द्वारा पुलिस थाना बांदीकुई में दर्ज करवाई है। उसके पश्चात भी वाद पत्र के वादीगण ने उक्त प्रतिवादी / अप्रार्थीगण के निवास स्थान ग्राम उनबडागांव दर्शा कर उसको निवास करना बताया है और वादीगण को इस बात की बखूबी जानकारी है कि वादपत्र के प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण 2 लगायत 4 के पिता रामचंद्र लापता है, जिसका गलत पता पेश कर वाद प्रस्तुत किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संख्या 94 / 2024 उनवानी रामप्रताप बनाम रामचंद्र न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने व विधि द्वारा वर्जित होने के कारण निरस्त फरमाया जावें।

वादीगण वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकन किया कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के पैरा नंबर 2 में यह तथ्य अंकित किया है कि विवादित भूमि टुण्डा कौम चमार से जरिये विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था जो खसरा नं. 820, 823, 829, 835 के अंकन किया है शेष भूमि खसरा नं. 820 / 2226 रकबा 0.16 हैक्टेयर उसी समय दावें में अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 3 के पिता से खरीद की थी और अप्रार्थीगण के पिता ने रजिस्ट्री करवाने का आश्वासन दे रखा था उक्त खरीद की लिखत पढत नहीं करवायी थी जिस पर वादीगण के पिता व बाबा का खसरा नं. 820 / 2226, रकबा 0.16 हैक्टे. पर अंतिम दाह संसकार 20 वर्ष पूर्व किया था और तभी उसी समय स्मृति तिबारा का भी निर्माण करवा दिया था उस समय दावे में प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 के पिता तथा 5 लगायत 6 के बाबा एवं प्रतिवादी संख्या 1 रामचंद्र स्वयं मौजूद था । और प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 भी मौजूद था जिन्होने भी तिबारा

Scanned with OKEN Scanner

निर्माण व दाह संस्कार में भी किसी प्रकार की बाधा या रुकावट पैदा की कि वे यदि वादीगण का नाजायज कब्जा करते है या नाजायज रूप से प्रतिवादी नंबर एक रामचंद्र की खातेदारी की भूमि में दाह संस्कार करते है तो यह आवश्यक है कि पुलिस रिपोर्ट का कोई वाद विवाद प्रस्तुत करते जो इन्होने नहीं किया और कब्जा काश्त की जानकारी शुरू से ही रही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्राथीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। उभयपक्ष वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी. एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने बहस उभयपक्ष वकील पर मनन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी., जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजातों को अवलोकन किया। राजस्व जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम उनबडागांव खाता सं. नया 124 पुराना 156 खसरा नं. 820/2226, 821, 826 कुल किता 3 कुल रकबा 1.27 हैक्ट. वाके रामा उनबडागांव तह. बांदीकुई जिला दौसा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण द्वारा दावा उद्घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी एवं कब्जा बाबत पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। विधिक प्रावधानों के अनुसार केवल रिकार्डेड खातेदार ही स्थायी निषेधाज्ञा का वाद दायर कर सकता है तथा विवादित भूमि पर वादी का स्वामित्व होना आवश्यक है। परन्तु वादीगण वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार नहीं है तथा वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा बाबत कोई प्रमाणित दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे प्रकट होता है कि वादग्रस्त भूमि से वादीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है तथा वादीगण द्वारा स्वच्छ रूप से वाद प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे वादीगण वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी. से प्रभावित होता है तथा यह प्रतीत होता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण चलने योग्य नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दावा उद्घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा विधि विरूद्ध होने से आदेश 07 नियम 11 की श्रेणी में आने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
26/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० / वास्ते श्रवण प्रार्थना दिनांक 28/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
28/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० / श्रवण उभयपक्ष वकील प्रार्थना ~ नियम 11 एवं धारा 151 जा०दी० सुनी / वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 6/12/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
6/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० / वास्ते ऑर्डर पत्रावली दि० 9.12.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
9/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० / प्रार्थना पत्र ऑर्डर ~ नियम 11 एवं धारा 151 जा०दी० पर उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर गार्नीशिंग / प्रति गार्नीशिंग प्रार्थना अन्तर्गत ऑर्डर ~ नियम 11 एवं धारा 151 जा०दी० स्वीकार किया जाता है तथा गार्नीशिंग वापस ली जाती है विस्तृत निर्णय

2442

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पृथक से लिखवा कर शामिल फायली किया जाय। फायली फैसलशुदा होकर जाए तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	